:: औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा ::

पीठासीन अधिकारी : **श्री पंकज बंसल, आर.जे.एस.** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या : 23 सन् 2018 आई.टी.आर

1. श्री दिनेशचन्द्र पुत्र श्री भगवान लाल शर्मा , द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
2. श्री गोविन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री शिवलाल, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
3. श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री जयचंद तेली, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
4. श्री हरिसिंह राजपुत पुत्र श्री मोहन सिंह, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
5. श्री लक्ष्मण गुर्जर पुत्र श्री भगवान गुर्जर, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
6. श्री नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भंवर सिह, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
7. श्री मांगी लाल पुत्र उदय लाल गुर्जर, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
8. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
9. श्री सत्यनारायण पुत्र नारायण शर्मा, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
10. श्री राजमल पुत्र अमरचन्द गुर्जर, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
11. श्री फतेह लाल पुत्र भंवर लाल शर्मा, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।
12. श्री मिठूदास पुत्र श्री कन्हैया दास वैष्णव, द्वारा–अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।

..प्रार्थी

: बनाम :

1. अध्यक्ष,श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल,मंडफिया तह0–भदेसर,जिला–चितौडगढ।

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल, मंडफिया,तह0–भदेसर,जिला–चितौडगढ। ..विपक्षीगण

:: उपस्थित ::

1. श्रीमती वंदना चोखडा,अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शंकरपुरी गोस्वामी,श्री लोकेश कुमार शर्मा,अधिवक्ता–विपक्षी सं0 एक की ओर से।
3. विपक्षी सं0 2 व 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही।

<u>:: पंचाट ::</u> **दिनांक : 18.06.2026**

प्रार्थीगण की ओर से अपना औद्योगिक विवाद निस्तारण हेतु समझौता अधिकारी,चितौडगढ के समक्ष पेश किया गया, जहां समझौता नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्याः एफ.9(1)(103)/श्र.नि./2018 दिनांक 08.10.2018 के द्वारा अग्रलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गयाः–

'क्या श्रमिकगण सर्वश्री (1)दिनेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री भगवान लाल (2) गोविन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री शिव लाल (3) सुरेश चन्द्र पुत्र श्री जयचंद तेली (4) हरिसिंह राजपुत पुत्र श्री मोहन सिंह (5) लक्ष्मण गुर्जर पुत्र श्री भगवान गुर्जर (6) नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भंवर सिह (7) मांगी लाल पुत्र उदय लाल गुर्जर (8) राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह (9) सत्यनारायण पुत्र नारायण शर्मा (10) राजमल पुत्र अमरचन्द गुर्जर (11) फतेह लाल पुत्र भंवर लाल शर्मा (12) मिठूदास पुत्र श्री कन्हैया दास वैष्णव (जिनका विवाद अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक,मंडफिया, तह0–भदेसर,जिला चितौडगढ द्वारा उठाया गया है) को क्रमशः दिनांक 28.04.1998, 05.04.2004, 21.05.2007, 07. 05.2008, 11.04.1999, 01.07.2004, 01.05.2005, 15.03.2004, 01.07.2008, 31. 01.2008, 01.04.2008, 01.05.2008 से विपक्षी नियोजकगण 1. अध्यक्ष,श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल,मंडफिया तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ 2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल,मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ द्वारा नियमित वेतन श्रृंखला नही दिया जाना उचित एवं वैद्य है ? यदि नहीं, तो श्रमिकगण किस राहत को पाने का हकदार हैं?

उपरोक्तानुसार विवाद प्राप्त होने पर पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से पृथक–पृथक क्लेम प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि वे क्रमशः दिनांक 28.04.1998, 05.04.2004, 21.05.2007, 07.05.2008, 11.04.1999, 01.07.2004, 01.05.2005, 15.03.2004, 01.07.2008,

31.01.2008, 01.04.2008, 01.05.2008 से विपक्षीगण के यहां कार्यरत रहे है, उन्हें विपक्षीगण द्वारा गलत रूप से संविदा श्रमिक बताया गया, उन्होंने प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 240 दिनों से अधिक अवधि तक कार्य किया है। क्लेम प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अपना मासिक वेतन नियुक्ति की दिनांक को क्या था, यह अंकित करते हुए अपने वेतन से विपक्षी संख्या 01 द्वारा नियमानुसार पी.एफ. की कटौती भी करना एवं नियुक्ति दिनांक के पश्चात से लगातार नियमित एवं निरंतर रूप से विपक्षी संख्या 01 के यहां ड्यूटी पर उपस्थित होना एवं उनकी नियमित सेवाएं 02 वर्ष से अधिक हो जाने से प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 के मध्य श्रमिक व नियोजक के संबंध होना और एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्यदिवसों तक ड्यूटी करने के कारण प्रार्थीगण का धारा 25 बी औ0वि0अधि के अंतर्गत विपक्षी संख्या 01 के अधीन नियोजन नियमित नियोजन की श्रेणी में आने से उनको अधिनियम के समस्त प्रावधानों का संरक्षण प्राप्त होना अंकित किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण सांवलिया मंदिर अधिनियम 191 के तहत अपनी नियुक्ति पर अर्द्धस्थाई वेतनमान एवं स्थाईकरण एवं समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है और विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण की समय समय पर विभिन्न जगहों पर ड्यूटी लगाई गई है और वेतन का भुगतान भी विपक्षी संख्या 01 द्वारा सीधे बैंक खाते में किया जाता रहा है जिस कारण प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 के सीधे ही नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करने के कारण वह अपने पद पर नियमित होने और नियमित वेतन परिलाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त आधारो पर प्रार्थीगण ने स्वयं को नियमित कर नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ दिलाने की प्रार्थना की।

विपक्षीगण की ओर से क्लेम प्रार्थनापत्र का जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि प्रार्थीगण को उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया गया तथा वे उनके कार्मिक नहीं है। प्रार्थीगण ने सेवा प्रदाता कम्पनी यूनिकार्न हयूमन पावर प्रा0लि0 उदयपुर के मार्फत संविदा पर कार्य किया है जिनको श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा कोई नियुक्ति नही दी गई। प्राथीगण का मंदिर मंडल नियोजक नही है, प्राथीगण व मंदिर मंडल के मध्य श्रमिक नियोक्ता के संबंध नही है। मंदिर मंडल औद्योगिक संस्थान नही है एवं किसी प्रकार का लाभ एवं उत्पादन का स्त्रोत नही है एवं प्रार्थीगण मंदिर मंडल के कर्मचारी नही होने के कारण कोई लाभांश पाने के अधिकारी नही है एवं यदि उनके द्वारा किसी सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के मार्फत कोई कार्य किया है और कोई राशि बकाया है तो वह सेवाप्रदाता ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। प्रार्थीगण ने नियुक्ति का प्रमाण पेश नहीं किया है। अतः क्लेम प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में ए.ड. 1 हरिसिंह, ए.ड. 2 दिनेश शर्मा, ए.ड. 3 राजमल गुर्जर, ए.ड. 4 लक्ष्मण लाल गुर्जर, ए.ड. 5 राजेन्द्र सिंह, ए.ड. 6 नरेन्द्र पाल सिंह, ए.ड. 7 फतेहलाल शर्मा, ए.ड. 8 मांगीलाल गुर्जर, ए.ड. 9 मिठूदास वैष्णव, ए.ड. 10 सत्यनारायण शर्मा एवं ए.ड. 11 गोविंद शर्मा के शपथ पत्र पर बयान दर्ज करवाये गये।

विपक्षीगण की ओर से साक्ष्य में एन.ए.ड. 1 शिव शंकर पारीक के शपथपत्र पर बयान दर्ज करवाये गये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विपक्षीगण ने लिखित बहस भी पेश की।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 के यहां 10 वर्ष से भी अधिक समय से लगातार कार्य कर रहे है एवं स्वयं विपक्षी संख्या 01 के गवाह श्री शिव शंकर पारीक ने भी अपने बयानों में प्रार्थीगण का 10 वर्ष से अधिक समय से मंदिर मंडल में कार्य करना स्वीकार किया है। उनका यह भी तर्क है कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण का ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्य करना बताते हुए श्रमिक नियोजक का संबंध होने से इंकार किया है परंतु इस संबंध में ऐसी कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही की है जिससे यह जाहिर हो कि मंदिर मंडल द्वारा कोई निविदा जारी कर ऐजेन्सी के माध्यम से प्रार्थीगण की सेवाए ली गई हों या किसी ऐजेन्सी को इस संबंध में कोई कार्यादेश जारी किया गया हो जिस कारण साक्ष्य के अभाव में यह नही माना जा सकता कि प्रार्थीगण ऐजेन्सी द्वारा संविदा पर कार्यरत हैं। उनका यह भी तर्क है कि विपक्षी संख्या 01 मंदिर मंडल ने प्रार्थीगण का वेतन भी ऐजेन्सी के माध्यम से करना कहा है परंतु इस संबंध मे भी कोई दस्तावेज पेश नही किया है कि मंदिर मंडल द्वारा प्रतिमाह प्रार्थीगण का वेतन ऐजेन्सी को ट्रांसफर किया जाता हो एवं ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थीगण के खाते में डाला जाता हो जिस कारण विपक्षी संख्या 01 के कथन साक्ष्य द्वारा समर्थित नही होने से मानने योग्य नही है जबकि प्रार्थीगण ने मंदिर मंडल के कार्यालय आदेशो की प्रतियां पेश की है जिनमें प्रार्थीगण की ड्यूटी मंदिर मंडल द्वारा स्वयं लगाई गई है जिससे प्रार्थीगण का मंदिर मंडल के सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करना प्रमाणित होता है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण की ओर से मंदिर मंडल की हाजरी रजिस्टर की प्रतियां भी पेश की गई हैं जिनमें भी प्रार्थीगण की उपस्थिति मंदिर मंडल में होना प्रमाणित होता है एवं उपस्थिति रजिस्टर की प्रति में संविदा कार्मिक हेतु जारी करने बाबत नोट विपक्षी द्वारा अंकित कर देने मात्र से प्रार्थीगण को ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा कार्मिक नही माना जा सकता है क्योकि इस बाबत कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा पेश नही हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण ने 240 दिन से अधिक समय तक एक कैलेण्डर वर्ष में कार्य करना प्रमाणित किया है जबकि इसके खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही की गई है जिस कारण प्रार्थीगण नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उन्होंने क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को नियमित वेतन श्रृंखला दिलाये जाने की प्रार्थना की एवं अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत एवं विधि पेश की–

01. श्री सांवलिया जी मंदिर अधिनियम–1992

02. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर–11417/2025 चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सांवलिया जी मंदिर बनाम चतर सिंह व अन्य आदेश दिनांक 14.07.2025

03. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर–4655/2005 श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बनाम श्याम सिंह व अन्य आदेश दिनांक 02.09.2005

04. एसएलपी(सी) संख्या 5580/2024–जगगो बनाम भारत संघ, 2024 INSC 1034

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 ने इन तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण कभी भी मंदिर मंडल के नियमित नियुक्त कर्मचारी नही रहे हैं तथा न ही उनकी नियंक्ति किसी वैधानिक प्रक्रिया अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है, मंदिर मंडल में सेवा नियुक्ति के लिये नियमित प्रक्रिया निर्धारित है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण की सेवाएं मंदिर मंडल द्वारा सीधे नही ली जाकर आपूर्ति ऐजेन्सी के माध्यम से ली जाती है जिस कारण प्रार्थीगण का सेवा संबंध विपक्षी संख्या 01 के साथ न होकर आपूर्ति ऐजेन्सी के साथ है एवं जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त न किया गया हो और उसके नियुक्ति पत्र, सेवाभिलेख, वेतन भुगतान के प्रमाण मंदिर मंडल से संबंधित नही हों, तब तक उसे नियमित कर्मचारी नही माना जा सकता है एवं प्रार्थीगण ने मंदिर मंडल की ओर से जारी नियुक्ति पत्र या मंदिर मंडल द्वारा सीधे ही उनके वेतन भुगतान के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही की है एवं संविदा या दैनिक वेतन पर कार्यरत व्यक्ति को नियमित नियुक्ति का अधिकार तभी है जब उसकी नियुक्ति विधिवत चयन प्रक्रिया से की गई हो और पद स्वीकृत एवं रिक्त हो परंतु ऐसी कोई साक्ष्य प्रार्थीगण ने पेश नही की है। उनका यह भी तर्क है कि मंदिर मंडल किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने व नियमित करने का अधिकार नही रखता है बल्कि इसके लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। अतः उक्त तर्को के आधार पर उन्होंने क्लेम प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत विधि व न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया ।

हमारे सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा नियमित नहीं किया जाना एवं देय हितलाभ नहीं दिया जाना उचित व वैध है?

उपरोक्त विचारणीय बिन्दु का निस्तारण करने से पूर्व सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य श्रमिक–नियोजक के संबंध हैं तथा क्या प्रार्थी ने उनके अधीन 240 दिवसों से अधिक दिवसों तक कार्य किया है?

जहां तक श्रमिकगण व नियोजकगण के संबंध का प्रश्न है, इस संबंध में अपने अभिवचनों में प्रार्थीगण ने यह उल्लेख किया है कि वे अपनी नियुक्ति दिनांको क्रमशः 28.04.1998, 05.04.2004, 21.05.2007, 07.05.2008, 11.04.1999, 01.07.2004, 01.05.2005, 15.03.2004, 01.07.2008, 31.01.2008, 01.04.2008, 01.05.2008 से ही विपक्षीगण के अधीन निरंतर व नियमित रूप से कार्य कर रहे है। अपने अभिवचनों में उन्होने यह भी बताया है कि उनके कार्यों का नियंत्रण पूर्ण रूप से विपक्षीगण का ही रहा है तथा उनके आदेशानुसार ही

उसने कार्य किया है। प्रार्थीगण के उक्त अभिवचनों के खंडन में विपक्षीगण ने यह कहा है कि प्रार्थीगण को उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया गया तथा वे उनके कार्मिक नहीं है, प्रार्थीगण ने सेवा संविदा के मार्फत कोई कार्य किया है, प्रार्थीगण ने नियुक्ति का प्रमाण पेश नहीं किया है, प्रार्थीगण द्वारा कार्य दिवसों का विवरण भी पेश नहीं किया गया है, अतः वह उत्तरदाता के विरूद्ध वाद पेश नहीं कर सकते है।

प्रार्थीगण ने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत अपने शपथपत्रों में भी क्लेम प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कहा है कि वह विपक्षीगण के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में दिनांको क्रमशः 28.04.1998, 05.04.2004, 21.05.2007, 07.05.2008, 11.04.1999, 01.07.2004, 01.05.2005, 15.03.2004, 01.07.2008, 31.01.2008, 01.04.2008, 01.05.2008 से अब तक कार्य का निष्पादन करते चले आ रहे हैं। जिरह में प्रार्थीगण का कहना रहा है कि उनके पास सांवलिया जी मंदिर मंडल का कोई नियुक्तिपत्र नहीं है। प्रार्थी सत्यनारायण ने जिरह के दौरान इस तथ्य को सही होना कहा है कि तनख्वाह विपक्षी सं. 2 द्वारा मेरे खाते में जमा होती है लेकिन उसने बैंक स्टेटमेन्ट पत्रावली में पेश करने से इंकार किया है। गौरतलब है कि विपक्षी सं0 1 के गवाह एन ए ड 1 शिव शंकर पारीक ने अपनी जिरह में प्रार्थी द्वारा मंदिर मंडल में सेवाएं देना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। विपक्षी गवाह एन ए डब्ल्यू 01 शिव शंकर पारीक द्वारा प्रार्थीगण के उक्त पदों पर कार्य करने से इनकार नही किया गया है अपितु यह कहा गया है कि प्रार्थीगण सेवाप्रदाता कम्पनी विपक्षी संख्या 02 हयूमन रिसोर्स एसोसिएटस के कार्मिक हैं और संविदा के तौर पर सेवा प्रदाता कम्पनी टाईगर 4 इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के मार्फत सांवलिया जी मंदिर मंडल में संविदा के तौर पर कार्य कर रहे है। उक्त विपक्षी गवाह शिव शंकर पारीक ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी मंदिर मंडल के अंदर काम करता है और यह कहना सही है कि प्रार्थी पिछले 10 वर्ष से मंदिर मंडल में कार्य कर रहा है। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि संविदा कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने बाबत आदेश मंदिर मंडल द्वारा ही जारी किये जाते हैं। उक्त गवाह ने प्रार्थी का मंदिर मंडल में लम्बे समय से कार्यरत होना जिसकी जानकारी उसे होना कहा है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि प्रार्थी संवेदक के मार्फत कार्यरत है। उक्त गवाह ने मंदिर मंडल में 400 के करीब पद होना जिन पर संवेदक के मार्फत श्रमिक कार्यरत होना कहा है।

प्रार्थीगण ने बतौर गवाह ए डब्ल्यू–01 लगायत ए डब्ल्यू–11 साक्ष्यस्वरूप प्रस्तुत अपने शपथपत्रों में क्लेम प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कहा है कि वह विपक्षीगण के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में अपनी अपनी नियुक्ति दिनांक से अब तक कार्य का निष्पादन करते चले आ रहे हैं। जिरह में प्रार्थीगण ने बतौर गवाह ए डब्ल्यू–01 लगायत ए डब्ल्यू–11 यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा नियुक्ति का कोई लिखित आदेश पेश नही किया है। यद्यपि उक्त गवाहान ने अपनी जिरह मे वेतन एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होने से इंकार किया है अपितु मंदिर मंडल द्वारा ही वेतन दिया जाना कहा है परंतु प्रार्थी सत्यनारायण ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मैने मेरे

व मंदिर मंडल के बीच नियोक्ता एवं नियोजक के संबंध होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किये है और उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मेरे खाते में वेतन विपक्षी संख्या 02 डालता है जो विपक्षी संख्या 02 हयूमन रिसोस एसोसिएट है अर्थात उक्त प्रार्थी गवाह सत्यनारायण ने वेतन का भुगतान विपक्षी संख्या 02 द्वारा करना कहा है परंतु इस संबंध में अन्य किसी गवाह ने ऐसे कोई कथन नहीं कहे हैं बल्कि वेतन एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होने से इंकार किया है एवं यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्राप्त हुई अधिसूचना में विपक्षी संख्या 02 मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सांवलिया मंदिर मंडल बोर्ड है जबकि प्रार्थी सत्यनारायण शर्मा द्वारा जो क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें विपक्षी संख्या 02 ह्यूमन रिसोर्स ऐसोसिएट्स है परंतु जिरह में वेतन जमा होने के सबंध में स्पष्ट रूप से उक्त गवाह ने यह नही कहा है कि उसका वेतन ह्यूमन रिसोर्स ऐसोसिएटस द्वारा जमा कराया जाता हो । इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 12 प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा की बैंक पासबुक्स है जिसमें भी सिर्फ वेतन जमा होना अंकित है, वेतन हयूमन रिसोर्स एसोसिएट ने जमा करवाया हो, ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है। इस संबंध में विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करें तो इस संबंध में विपक्षीगण के गवाह एन. ए. ड. 1 शिव शंकर पारीक ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रार्थीगण को किये जा रहे वेतन भुगतान के संबंध में व उसके सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के अधीन कार्यरत होने के संबंध में लेशमात्र भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह जाहिर हो कि मंदिर मंडल द्वारा प्रार्थीगण के वेतन का भुगतान विपक्षी संख्या–02 हयूमन रिसोर्स एसोसिएट को किया जाता हो अपितु स्वयं विपक्षी गवाह एन ए ड 1 ने अपनी जिरह में प्रार्थीगण द्वारा उनके यहां 10 वर्ष से अधिक कार्य करना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, लेकिन प्रार्थीगण को संविदा पर नियोजित करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रार्थीगण की ओर से कार्यालय श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल के कार्यालय आदेश प्रदर्श–01 लगायत प्रदर्श–4 व 6 एवं प्रदर्श–10 व 11, प्रदर्श–13 लगायत प्रदर्श–15, प्रदर्श–17 लगायत प्रदर्श–19, प्रदर्श–22 लगायत प्रदर्श–24, प्रदर्श–32 व प्रदर्श–33, प्रदर्श–34 लगायत प्रदर्श–37 पेश किये गये है, जिन दस्तावेजात में मंदिर मंडल के ओर से कार्यालय आदेश द्वारा प्रार्थीगण की डयुटी विभिन्न कार्यो हेतु लगाया जाना जाहिर होता है जिसके संबंध में स्वयं विपक्षी गवाह एन ए डब्ल्यू 01 श्री शिव शंकर पारीक ने भी यह स्वीकार किया है कि मंदिर मंडल की कार्य व्यवस्था हेतु श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है एवं इसके खंडन में कोई साक्ष्य विपक्षीगण की ओर से पेश नहीं की गयी है। इसके अलावा प्रार्थीगण की ओर से मंदिर मंडल के द्वापर विश्रांति गृह के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति प्रदर्श–02 पेश की गई है जिसमे माह मई 2010 से सितम्बर 2010 तक प्रार्थी गोविन्द लाल शर्मा के उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर है जिसका पद धर्मशाला लेखक अंकित है जिस उपस्थिति रजिस्टर मे किसी ऐजेन्सी का नाम अंकित नही है। इसी प्रकार प्रार्थी गोविंद

शर्मा की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–05 एवं प्रदर्श–06 प्रार्थी गोविंद शर्मा द्वारा मंदिर मंडल को लिखे गये प्रार्थना पत्र है जिसमें धर्मशाला के संबंध में सामान की एवं पाईप लाईन ठीक कराने की प्रार्थना की गई है जिन दस्तावेजो के संबंध में भी प्रार्थी गोविंद शर्मा से ऐसी कोई जिरह नही की गई है कि उक्त विश्रांति गृह मंदिर मंडल का नही हो अथवा उक्त दस्तावेज फर्जी हों।

इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने आपको उपरोक्त वर्णित दिनांको से विपक्षीगण के यहां नियोजित होना कहा गया है, जिस तथ्य को स्वयं विपक्षी गवाह एन ए ड 1 शिव शंकर पारीक ने भी इंकार नही किया है, लेकिन उसका मात्र इतना ही कहना है कि प्रार्थीगण संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक हैं, लेकिन विपक्षीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे प्रार्थीगण के किसी सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत होना प्रकट होता हों जबकि उक्त तथ्य को साबित करने का भार विपक्षीगण पर था। प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि उसके द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात , जो कि स्वयं विपक्षीगण के कार्यालय द्वारा जारी दस्तावेज/ आदेश हैं, से भी होती है, जिनके माध्यम से प्रार्थीगण की विभिन्न स्थानों पर विपक्षीगण के कार्यालय द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। उक्त दस्तावेजों के संबध में विपक्षीगण की ओर से प्रार्थी से कोई जिरह भी नहीं की गई है, जिससे उक्त दस्तावेजात की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह करने का कोई कारण मेरे समक्ष नहीं है। विपक्षीगण की ओर से जिरह के दौरान प्रार्थी को ऐसा कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है कि उनके द्वारा किये जा रहे कार्य पर विपक्षीगण का नियंत्रण व पर्यवेक्षण नहीं हो, जबकि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थी का विपक्षीगण के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य करना पूरी तरह से साबित है।

वकील विपक्षीगण ने बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात की ओर आकृष्ट करते हुए यह तर्क दिया है कि उक्त दस्तावेजात में प्रार्थी को संविदाकर्मी बताया गया है एवं प्रार्थीगण उनके श्रमिक नहीं होकर सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के श्रमिक हैं तथा विपक्षी सं0 एक के गवाह एन ए ड 1 शिव शंकर पारीक ने अपने मुख्य परीक्षण स्वरूप शपथपत्र में प्रार्थीगण के यूनिकान ह्यूमन पावर लि.,के श्रमिक होने का अंकन तो किया है, लेकिन इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उनके द्वारा पेश नहीं की गई है और न किसी ऐजेन्सी को श्रमिक उपलब्ध करवाने के संबंध में दिये गये कार्यादेश की प्रति ही पेश की गई है। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में विपक्षीगण के द्वारा अपने जवाब व अपने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र में प्रार्थीगण का संविदा श्रमिक होने का अंकन कर देना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के द्वारा किसी सेवाप्रदाता ऐजेन्सी को श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित करना और उसके द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवाना साबित नहीं पाया जाता है। मेरे विनम्र मत में विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह द्वारा मात्र अपने शपथपत्र में यह कह देने से कि वह विपक्षी का श्रमिक नहीं होकर किसी सेवाप्रदाता ऐजेन्सी का श्रमिक है, को सत्य एवं विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है जब तक कि विपक्षी द्वारा इस संबंध में साक्ष्य पेश नही की जाती है कि प्रार्थीगण को सेवा प्रदाता ऐजेंसी द्वारा मंदिर

मंडल को उपलब्ध कराया गया था एवं कार्यादेश जारी किया गया था परंतु ऐसा कोई दस्तावेज विपक्षीगण द्वारा पेश नही किया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के मुकाबले में विश्वसनीय नहीं पाई जाती है। अतः साक्ष्य के दौरान प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह इंगित होता है कि प्रार्थीगण पर विपक्षीगण का सीधा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण था। इन दस्तावेजात में प्रार्थीगण का नाम अंकित है तथा विपक्षी के द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के द्वारा प्रार्थीगण की विभिन्न कार्यो हेतु ड्यूटी लगाई गई है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य श्रमिक– नियोजक का संबंध है।

अब हमें यह देखना है कि क्या प्रार्थीगण 240 दिवसों से अधिक दिवसों तक विपक्षीगण के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे हैं ?

इस संबंध में प्रार्थीगण ने बताया है कि वे अपनी अपनी नियुक्ति दिनांको से नियमित रूप से विपक्षीगण के यहां कार्यरत है तथा उसने साक्ष्य के दौरान अलग–अलग समय के ड्यूटी लगाने के संबंध में विपक्षी द्वारा जारी दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, जिनसे भी प्रार्थी की ड्यूटी व उसकी उपस्थिति जाहिर होती है। प्रार्थीगण ने क्रमशः दिनांक 28.04.1998, 05.04.2004, 21.05.2007, 07.05.2008, 11.04.1999, 01.07.2004, 01.05.2005, 15.03.2004, 01.07.2008, 31.01.2008, 01.04.2008, 01.05.2008 से विपक्षी मंदिर मंडल के यहा नियुक्त होना एवं कार्य करना अपने क्लेम प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्रों में कहा है,जिस तथ्य से विपक्षी मंदिर मंडल द्वारा भी स्पष्ट रूप से इंकार नही किया गया है एवं स्वयं विपक्षी गवाह एन ए डब्ल्यू 01 शिव शंकर पारीक ने सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा प्रार्थीगण को नियुक्ति देने से इंकार करते हुए हयूमन रिसोर्स एसोसिएट ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्य करना तो कहा है परंतु इस तथ्य से इंकार नही किया है कि प्रार्थीगण अपने क्लेम प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित दिनांक से मंदिर मंडल में कार्य नही कर रहे हों अपितु अपनी जिरह में भी यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी पिछले 10 वर्ष से मंदिर मंडल में कार्य कर रहा है। विपक्षीगण की ओर से इस संबंध में प्रार्थीगण से कोई जिरह भी नहीं की गई है और न जिरह के दौरान विपक्षी की ओर से प्रार्थीगण को ऐसा कोई सुझाव ही दिया गया कि उसने उक्त तिथि से विपक्षी सं0 एक के यहां कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो। स्वयं विपक्षी गवाह ने प्रार्थीगण का विपक्षीगण के यहां लम्बे समय से कार्यरत होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य अखंडित रही है तथा उस पर अविश्वास करने का कोई कारण मेरे समक्ष नहीं है। उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपनी अपनी नियुक्ति दिनांक से नियमित रूप से विपक्षीगण के यहां कार्य कर रहे है तथा उन्होंने विपक्षीगण के अधीन प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवसों से अधिक दिवसों तक कार्य किया है।

इस के अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने विपक्षी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल से सूचना के

अधिकार के तहत प्राप्त श्री सांवलिया जी मंदिर अधिनियम 1992, की प्रति पेश की है जिसके भाग–4–भर्ती हेतु प्रक्रिया के नियम 12 में बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे कार्यरत कर्मचारियों, जिन्होनें 240 दिन तक लगातार सेवा पूरी कर ली हो और जिनका पिछला सेवा रिकार्ड संतोषप्रद हो एवं वे अन्यथा नियुक्ति के पात्र हो, की नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति कर सकता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 का दोराने बहस यह तर्क रहा है कि मंदिर मंडल में पद रिक्त नही होने के कारण प्रार्थीगण को नियमित किया जाना संभव नही है परंतु इस संबंध में यह स्पष्ट है कि स्वयं विपक्षी गवाह एन. ए. डब्ल्यू.–01 शिव शंकर पारीक ने मंदिर मंडल में 400 के करीब पद होना जिन पर संवेदक के मार्फत श्रमिक कार्यरत होना कहा है परंतु इस बारे मे कोई कथन नही कहे हैं कि उक्त 400 पद किस किस पदनाम से है ना ही यह कहा है कि उक्त पदो में कितने पद भरे हुए है तथा कितने पद रिक्त है। यहां तक कि इस बाबत भी कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है कि विपक्षी मंदिर मंडल में जिन पदों पर प्रार्थीगण कार्य कर रहे हैं, वह पद सम्पूर्ण रूप से भरे हुए हों और कोई पद रिक्त न हो, अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में विपक्षी संख्या 01 का उक्त तर्क मानने योग्य नही है कि मंदिर मंडल मे प्रार्थीगण के पदनाम के पद खाली न हो। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया है कि प्रार्थीगण 240 दिन से अधिक लगातार सेवा पूरी कर चुके है एवं उनका पिछला सेवा रिकार्ड संतोषप्रद न हो, ऐसी कोई साक्ष्य विपक्षीगण की ओर से न तो पेश की गई है न ही अभिवचन कहे गये है तो ऐसी स्थिति में बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों को उपरोक्त वर्णित नियम अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति का अधिकार है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी प्रकार के मामले चतर सिंह टेलर बनाम मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल में भी विपक्षीगण द्वारा संबंधित प्रार्थी के संविदा पर ऐजेन्सी के जरिये मंदिर मंडल में कार्यरत होने बाबत आपत्ति ली गई थी परंतु इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नही करने पर इस न्यायाधिकरण के आदेश व पंचाट तारीख 11.11. 2024 द्वारा रेफरेन्स प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया गया था जिसके विरूद्ध विपक्षी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन पेश की गई जिस एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर–11417/2025 चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड,मण्डफिया बनाम चतर सिंह टेलर व अन्य में अपने आदेश दिनांक 14.07.2025 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विपक्षी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड की रिट याचिका खारिज करते हुए यह कहा है कि :–

A perusal of the findings recorded by the learned Labour Court clearly shows that the respondent No.1 has worked in the petitioner-Temple since 01.10.1996 without any break on regular basis and, therefore, there was employer-employee relationship between the petitioner-Temple and the respondent No.1. Since the learned Labour Court, on the basis of the evidence adduced before it, has clearly come to the conclusion that for the perennial nature of work, which is available in

the petitioner-Temple, the respondent No.1 has served the petitioner-Temple since 01.10.1996, therefore, no infirmity has been committed by the learned Labour Court while allowing the claim petition of the respondent No.1.

अर्थात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नें समान मामलें में इस न्यायाधिकरण के पंचाट को पुष्ट करते हुए प्रार्थी व मंदिर मंडल के मध्य नियोजक व नियोक्ता के संबंध मानते हुए इस न्यायालय के पंचाट को सही माना जिस मामलें में भी हयूमन रिसोर्स एसोसिएटस भी पक्षकार थी एवं उक्त प्रकरण के तथ्य भी समान है। अतः उपरोक्त विवेचन को देखते हुए प्रार्थीगण यह साबित करने में सफल रहे हैं कि उसके व विपक्षीगण के मध्य श्रमिक– नियोजक के संबंध हैं तथा वे अपनी अपनी नियुक्ति दिनांको से लगातार विपक्षीगण के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे हैं। अतः प्रार्थीगण वांछित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रेषित विवाद का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि–

(1)दिनेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री भगवान लाल (2) गोविन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री शिव लाल (3) सुरेश चन्द्र पुत्र श्री जयचंद तेली (4) हरिसिंह राजपुत पुत्र श्री मोहन सिंह (5) लक्ष्मण गुर्जर पुत्र श्री भगवान गुर्जर (6) नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भंवर सिह (7) मांगी लाल पुत्र उदय लाल गुर्जर (8) राजन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह (9) सत्यनारायण पुत्र नारायण शर्मा (10) राजमल पुत्र अमरचन्द गुर्जर (11) फतेह लाल पुत्र भंवर लाल शर्मा (12)मिठूदास पुत्र श्री कन्हैया दास वैष्णव (जिनका विवाद अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक,मंडफिया, तह0–भदेसर,जिला चितौडगढ द्वारा उठाया गया है) को क्रमशः दिनांक 28.04.1998, 05.04.2004, 21.05.2007, 07.05.2008, 11.04.1999, 01.07.2004, 01.05.2005, 15.03.2004, 01.07.2008, 31.01.2008, 01.04.2008, 01.05.2008 से विपक्षी नियोजकगण 1.अध्यक्ष,श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल,मंडफिया तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ ।2.मुख्य कार्यपालक अधिकारी,श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल,मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ। द्वारा नियमित वेतन श्रृंखला नही दिया जाना उचित एवं वैध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी–अपनी नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रार्थी को पंचाट प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह के भीतर तदनुसार लाभ प्रदान किया जायें।

पंचाट की प्रति राज्य सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

(पंकज बंसल) .
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण .
एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।

पंचाट आज दिनांक 18.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज बंसल) .
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण .
एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।